

-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-27.07.2021

वेष बदल कर गंभीर क्षति का भय दिखाकर, धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त थाना चुनार पुलिस द्वारा गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चुनार पुलिस द्वारा धोखा देने हेतु वेप बदल कर गंभीर क्षति का भय दिखाकर लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । दिनांक 26.07.2021 को वादी वुधराम विश्वकर्मा पुत्र नन्दलाल विश्वकर्मा निवासी ग्रा0 सहसपुरा थाना चुनार मीरजापुर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति जो स्वयं को वादी का पुत्र अन्नू बता रहा है, जो वर्ष 2011 में खो गया था । जोगी के वेश में सारंगी बजाते हुए उपस्थित हुआ जिसके पास एक सपथ पत्र है, जिसपर वादी का पुत्र होने की बात अंकित है । जोगी द्वारा बताया गया कि मठ पर भंडारा हो जायेगा तब मै घर रह पाउंगा । यदि मठ में पैसा नही दिया जायेगा तो कोई गंभीर क्षति हो सकती है । वादी भी उसे अपना पुत्र समझ बैठा तथा पुत्र मोह में ₹ 1,46,000/- उसके गुरुदेव को दे दिया । तत्पश्चात उसने भूत प्रेत भगाने व धन की वृद्धि करने हेतु बताकर घर के सारे गहने एक बॉक्स में बंद कराकर 11 दिनों का पूजा प्रपंच प्रारम्भ किया । गाँव वालों के समझाने पर वादी जब बाक्स को खोलकर देखा तो उसमें गहने के जगह ईट-पत्थर मिला । जिसके सम्बन्ध में थाना चुनार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता मय हमराह उ0नि0 हरेराम यादव, हे0का0 देवेन्द्र नाथ पाण्डेय व का0 राजेश कुमार द्वारा अभियुक्त राशिद जोगी उर्फ काना पुत्र सिजाम निवासी टिकरिया विशुनपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से गहना तथा निशादेही पर ₹ 70,000/- बरामद कर, गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

